फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री नाथूलाल**
विपक्षी :— **श्री अमरा**
किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम
पत्रावली संख्या :— 43/21
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/175

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 5, 9, 10, 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 298 पर दर्ज आराजी नम्बर 2838/1444 रकबा 0.3885 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को एवं विपक्षीगण जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं परन्तु उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि मात्र प्रार्थीगण या मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान मौके पर एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो इससे उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एव विपक्षी [illegible] से 4, 6 से 8, 11, 12, 14 से 18 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:56 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 4, 6 से 8, 11, 12, 14 से 18 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किये जाते हैं कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 298 पर दर्ज आराजी नम्बर 2838/1444 रकबा 0.3885 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:56 IST
Reason: SelfAttested